

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल
jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12855 / 27/8

दिनांक :- 08.02.19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री छाया [लिंक न. 12855] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, गैर शिक्षा न्यायाधिकरण, शिक्षा विभाग (माध्यमिक), जयपुर - [1812] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 24/12/2018 से 01/01/2019 तक 9 दिवस

उक्त कुल 9 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री छाया की सेवा पुस्तिका में (लाल म्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

11

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12855 / 27/8

दिनांक :- 08.02.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधीश, गैर शिक्षा न्यायाधिकरण, शिक्षा विभाग (माध्यमिक), जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री छाया [12855] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, गैर शिक्षा न्यायाधिकरण, शिक्षा विभाग (माध्यमिक), जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

1

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)